


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 14 व 17/2021 बउनवानी बी.एस.शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं मुख्य कार्यकारी अधि.जि०प० स०मा० निवासी 32 ए, राजबिहार कॉलोनी,राजकीय कन्या महाविद्यालय के पास सवाईमाधोपुर 322001

GCMS No-2021/25 (2021/46)


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
09.04.2021	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। सहायक लोक सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 24.12.20 को लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जनजाति महिला विकास संस्थान, सवाईमाधोपुर द्वारा संचालित ग्रामीण महिला विद्यापीठ, मैनपुरा स०मा० में चलाये गये शैक्षणिक परिसर व ट्राईबल छात्रावास सत्र 2000-01 से 2004-05 तक अलग-अलग प्रोजेक्ट के अनुसार छात्राओं की सूची मय नाम-पते सहित वर्षवार उपलब्ध करावे। 2. जनजाति महिला विकास संस्थान, सवाईमाधोपुर द्वारा चलाये गये शैक्षणिक परिसर एवं ट्राईबल छात्रावास का सत्र 2000से 2005 तक वर्षवार जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा किया गया निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ भेजे गये संलग्न दस्तावेजों की समस्त प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध करावे। 3. जनजाति महिला विकास संस्थान, सवाईमाधोपुर द्वारा चलाये गये ट्राईबल हॉस्टल स्टाँफ मं सत्र 2005-06 में श्री भवंर सिंह ,सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाईमाधोपुर एक्स आर्मी मैन दिनांक 30.9.2000 से नियुक्त किया गया है इसका एक्स आर्मी मैन का प्रमाण पत्र की प्रति एवं 2006-07 में श्री नूरद्दीन वॉचमैन एक्स आर्मीमैन के प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करावे।(दोनों वॉचमैनो की) 4. श्रीमान जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा जनजाति महिला विकास संस्थान रणथम्भौर रोड़ सवाईमाधोपुर का सत्र 2005-06 एवं 2006-07 में शैक्षणिक परिसर एवं ट्राईबल हॉस्टल का कितनी बार मय दिनांक सहित निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के साथ भिजवाया गया है। भेजे गये समस्त दस्तावेजों की सूची उपलब्ध करावे। 5. जनजाति महिला विकास संस्थान, सवाईमाधोपुर की अध्यक्ष श्रीमति जसकौर मीना, पूर्व सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार रह चुकी है एवं वर्तमान सांसद-दौसा है। जिला परिषद सवाईमाधोपुर द्वारा पूर्व में कराये गये सांसद कोष के कार्य उनकी संस्था द्वारा कराया गया है या नहीं। सरकार के परिचय दिनांक आर/24/33/98 एमपी लेडस कौनसी दिनांक से जारी किया गया। संस्था को दिनांक जारी के बाद कोई लाभ नहीं दिया गया। अवगत करावे। जनजाति महिला विकास संस्थान, सवाईमाधोपुर से कब कब और कौन-कौन से कार्य उनकी संस्था को कार्यकारी ऐजेन्सी बनाकर करवाये गये है अवगत करावे। कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति देते समय पूर्व संसद सदस्य स०मा० ने अपनी संस्था से अध्यक्ष पद से स्तीफा दिया या नहीं अवगत करावे तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सवाई माधोपुर द्वारा संसदीय प्रथाएँ और परम्पराये के क्र.स. 5,9 के नियमों को ध्यान में रखा है या नहीं अवगत करावे। पूर्व संसद सदस्य स०मा० ने नियमों को ताक में रख कर मनमानी की है अवगत करावे। समस्त सूचनाओं की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिका  मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत उक्त दोनों प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।</p>

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित प्रतिनिधि लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर द्वारा अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,4,5 पर चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड की पत्रावलिया को तीन वर्ष पश्चात नष्ट किये जाने का प्रावधान होने के कारण उक्त पत्रावलियों नष्ट की जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 3 पर चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड कार्यालय मे संघारित नही होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने पर अपीलान्ट को जरिये पत्रांक क्रमांक/जिपसमा/माडा/आरटीआई /2020-21/1684 दिनांक 22.3.2021 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

अपीलान्ट द्वारा जिला परिषद के उक्त पत्रांक 1684 दिनांक 22.3.2021 के संबंध मे बिन्दुवार अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्थान सरकार द्वारा अनौपचारिक टिप्पणी में निर्देश जारी राजस्थान सरकार के वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक टिप्पणी के विषय द्वारा दी गयी जानकारी मे कार्यालयों में लेखा अभिलेखो /कार्यालय रिकार्ड/ संबंधी रिकार्ड परिपत्रों /परिशिष्टो को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने बाबत निर्देश जारी किया गया है। अतः प्रार्थी को उक्त रिकार्ड वेबसाईड से उपलब्ध कराया जावे। इसके अतिरिक्त संस्थान से संबंधित कुछ सूचनाए जो अपीलान्ट द्वारा अपने स्तर से संकलित की है उनकी प्रति प्रस्तुत कर संलग्न सूचनाओ के परिप्रक्ष्य मे जानकारी चाही गयी है जो अभी तक प्राप्त नही होना बताया गया है।

जिला परिषद के प्रतिनिधि द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.12.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचनाए उपलब्ध नही कराने के संबंध मे उक्त दोनो अपीले प्रस्तुत की गयी है। जिला परिषद द्वारा अपने पत्रांक 1684-85 दिनांक 22.3.2021 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचनाओ से संबंधित रिकार्ड की पत्रावलिया नष्ट करना बताया जाकर सूचना उपलब्ध करवाना असम्भव बताया गया है। किन्तु अपने जवाब यह अंकित नही किया कि कौनसी पत्रावली कब व किस कार्मिक/अधिकारी द्वारा नष्ट की गयी है। अर्थात् अपीलान्ट को भिजवाये गये जवाब में अंकित रिकार्ड नष्ट किये जाने से संबंधित कोई पुख्ता सबूत पत्र के साथ संलग्न नही किया गया है जिससे उक्त जवाब बनावटी प्रतीत होता है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके कार्यालय द्वारा उक्त रिकार्ड नष्ट कर दिया गया हो तो रिकार्ड नष्ट किये जाने का पूर्ण विवरण (रिकार्ड नष्टीकरण की सूची) अपीलान्ट व इस न्यायालय को भिजवावे अन्यथा अपीलान्ट को 15 दिवस मे वांछित सूचनाए उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निदेश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।


(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर